न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या –103/2025

उनवान

1. हरदयाल पुत्र सेडया उर्फ सेडूराम।
2. पप्पू पुत्र सेडया उर्फ सेडूराम (फौत)
   2/1 मुकेश पुत्र पप्पू
   2/2 विजेन्द्र पुत्र पप्पू
   2/3 विनोद पुत्र पप्पू
   2/4 लक्ष्मा देवी पत्नी पप्पू
   2/5 मंजू पुत्री पप्पू
   समस्त जाति बैरवा निवासी सिकराय तह0 सिकराय हालवासी लांका तह0 बहरावण्डा जिला दौसा राज0।
3. कमला देवी पुत्री सेडया उर्फ सेडूराम जाति बैरवा निवासी सिकराय तहसील सिकराय हालवासी लांका तह0 बहरावण्डा जिला दौसा पत्नी लल्लूराम बैरवा निवासी श्यामलाल पापडदा, जिला दौसा।
4. मिश्री देवी पुत्री सेडया उर्फ सेडूराम जाति बैरवा निवासी सिकराय तहसील सिकराय हालवासी लांका तहसील बहरावण्डा जिला दौसा पत्नी कन्हैया लाल बैरवा निवासी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली राज0 ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवराज पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द
2. दीपक उर्फ दीपू पुत्र कैलाश
3. सोनू पुत्र कैलाश
4. संतरा देवी पत्नी कैलाश
5. पूजा पुत्री कैलाश

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

6. अमित पुत्र अमरचंद

7. ज्योति पुत्री अमरचंद

8. रूक्मणी देवी पत्नी अमरचंद

9. मोहन पुत्र मूल्या उर्फ मूलचंद

10. शिम्भूदयाल पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द

11. सुशीला पुत्री मूल्या उर्फ मूलचन्द

12. कमली पुत्री मूल्या उर्फ मूलचन्द

13. जीना देवी पत्नी दीपक कुमार

समस्त जाति बैरवा निवासी सिकराय तह0 सिकराय जिला दौसा।

14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0

प्रार्थीगण की ओर से श्री सुनील कुमार गुप्ता एड0

अप्रार्थीगण की ओर से श्री धर्मसिंह बैरवा एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक** 30/12/2025

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 एक ही परिवार, एक ही कुटुम्ब के सदस्य है, सजरा खानदान अनुसार रामबक्स के पुत्र विशन्या हुआ एवं विशन्या के दो पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द एवं सेडया उर्फ सेडूराम हुए। सेडया उर्फ सेडूराम के वारिस प्रार्थीगण है तथा मूल्या उर्फ मूलचन्द के वारिस अप्रार्थीगण है। पक्षकारान प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 की पैतृक भूमि ग्राम सिकराय डूंगर में स्थित है जिसकी खातेदारी संवत 2012 से 2015 में बिशन्या पुत्र रामबक्स जाति चमार(बैरवा) के नाम आराजी खसरा नम्बर 10, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 व 38 कुल किता 10 कुल रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा स्थित थी। विशन्या की मृत्यू सन 1958 में हो गई। उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण के पूर्वज सेडया उर्फ सेडूराम के साथ मूल्या उर्फ मूलचन्द व उसकी पत्नी कलह करते थे जिसके कारण सेडया उर्फ सेडूराम अपने मामा जो कि लांका में रहते थे के पास रहने लग गया तथा

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

धीरे–धीरे वहीं पर अपना निवास बना लिया तथा मामाओं के द्वारा मूल्या उर्फ मूलचन्द से उसका राजीनामा करवा कर उक्त कृषि भूमि की उपज का मूल्यांकन कर हिस्सा 1/2 को हर वर्ष उसे दे दिया करते थे तथा धीरे धीरे यह हिसाब 2–3 वर्ष में होने लग गया चूंकि फसल का हिस्सा वह समय समय पर दे दिया करता था इसलिए कभी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड नहीं देखा किन्तु उक्त मूल्या उर्फ मूलचन्द जो कि प्रारम्भ से ही बेईमान था तथा गुपचुप तरीके से तत्कालीन तहसीलदार हल्का पटवारी एवं सरपंच से मिलकर एक फर्जी नामान्तकरण संख्या 15 ग्राम सिकराय डूंगर का भरवा लिया जो कि बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के स्वीकार किये ही उसका अवैध तरीके से उसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा लिया था जिसकी प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों को कभी कोई जानकारी नहीं हुई थी। उक्त नामान्तकरण एवं उसके आधार पर किये गये राजस्व रिकॉर्ड में अमल बमुकाबले प्रार्थीगण प्रारम्भतः ही शून्य एवं अप्रभावी है। उक्त वर्णित साबिक भूमि के दौराने बन्दोबस्त सन 2008 के खसरा नम्बर 13, 15, 17, 21, 24, 25, 27, 35, 37 कुल किता 9 कुल रकबा 2.43 है0 एवं खसरा नम्बर 16, 26 कुल किता 2 कुल रकबा 1.67 है0 वाके रामा सिकराय डूंगर तहसील सिकराय जिला दौसा राज0 जो कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड अवैध विरासत से है। उक्त वर्णित भूमि जो कि पूर्व में विशन्या पुत्र रामबक्श के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड एवं खुद काश्त की रही है। अप्रार्थीगण दावाकृत भूमि को संपूर्ण को अपने नाम होने का अवैध लाभा उठाने की गर्ज से एवं अप्रार्थीगण के ग्राम लांका में रहने की वजह से उसे दीगर लोगों को बेचान कर कब्जा देने की तैयारी में है। यह है कि दावा दायरी हेतु तैयारी करते समय जब विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड हेतु जमाबन्दी की नकल आनलाईन दिनांक 27 जुलाई 2025 को प्राप्त की तो ज्ञात हुआ की विवादित भूमि में अपरोक्त प्रकार से अवैध रूप से प्राप्त खातेदारी इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 01 देवराज पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द ने एक अवैध बिना पैसे के लेन देन के उक्त भूमि को हडपने की गर्ज से एक दिखावटी विक्रय पत्र अपने ही सगे भाई स्व0 कैलाश पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द की पुत्रवधू अप्रार्थीगण सं0 14 श्रीमति जीना देवी पत्नी श्री दीपक के नाम बेचान कर दिया तथा उक्त अप्रार्थीगण सं0 01 देवराज पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द द्वारा ही उक्त दिवस को ही उक्त विवादित भूमि को हडपने की गरज से एक दिखावटी दानपत्र अपने सगे भाई अप्रार्थीगण सं0 10 मोहन पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द के हक में कर दिया। जो कि बमुकाबले प्रार्थीगण के हक – हिस्से की भूमि तक प्रारम्भतः ही शून्य है। प्रार्थीगण का

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

प्रथम दृष्टा केस प्रमाणित है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण को अपूर्णनीय की क्षति होने की संभावना है। इसलिए जब तक मूल वाद का निर्णय नहीं हो जाता तब तक जारी अस्थायी निषे0 को कंफर्म किया जावे।

अप्रार्थीगण अधि0 द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण बिशन्या के वारिस नहीं है वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषे0 महज अप्रार्थीगण/खातेदारान को हैरान परेशान करने के लिए पेश किया गया है। मृतक मूल्या उर्फ मूलचन्द बिशन्या का एकमात्र वारिस था उसके अन्य कोई भाई बहन नहीं थे। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि को अवैध तरीके से मनगंढत एवं मिथ्या सजराखानदान के आधार पर हडपने की नियत से पेश किया है न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थायी निषे0 अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है एवं प्रार्थीगण द्वारा स्थगन आदेश की आड में अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा हैं। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धांत अप्राथीगण के पक्ष मे है। इसलिए जारी अस्थायी निषे0 खारिज की जावें।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात गंगागुर एवं जागा की वंशावली द्वारा वोटर लिस्ट एवं संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि पूर्व में बिशन्या की खातेदारी रही है तथा बिशन्या की मृत्यु के पश्चात विरासतन नामांतकरण वर्ष 1960 में मूल्या के पक्ष में दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा मूल दावा बाबत उद्घोषणा तथा यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषे0 इस आधार पर पेश किये गये है कि बिशन्या के दो पुत्र मूल्या एवं सेडया थे, सेडया पिता की मृत्यु के पश्चात ग्राम लांका में रहने लग गया था। लेकिन जब बिशन्या की मृत्यु हुई तो विरासतन नामांतकरण केवल मूल्या के नाम दर्ज किया गया। जबकि विवादित भूमि में 1/2 हिस्सें के हकाधिकार सेडया के थे। इसलिए प्रार्थीगण विरासतन आधार पर 1/2 हिस्सें की भूमि की उद्घोषणा चाहते है एवं मूल वाद के निर्णय तक जारी अंतरिम अस्थायी निषे0 को कंफर्म करवाना चाहते है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नामांतकरण आदेश वर्ष 1960 से लागू है एवं वर्तमान एवं अप्रार्थीगण के नाम रिकॉर्ड है। दशकों से यह रिकॉर्ड स्थिर ओर प्रभावी है। सेडया एवं उसके वारिसों द्वारा 1960 से 2025 तक कोई आपत्ति नहीं की। इतने वर्षों तक मौन रहने के पश्चात दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषे0 पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

प्रार्थीगण का यह दावा कि वे बिशन्या के वारिस है यह साक्ष्य पर आधारित विषय है। यदि स्थगन आदेश खारिज किया जाता है तो प्रार्थीगण के बिशन्या के वारिस होने के अधिकार पर किसी प्रकार को कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पडता है जिससे उन्हें अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना हो। न्यायालय द्वारा जारी अतंरिम अस्थायी निषे0 से लम्बे समय से कब्जेदार/खातेदारान के हकों पर नकारात्मक प्रभाव पडता है अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मं साबित होता है। दशकों से स्थिर राजस्व रिकॉर्ड एवं मौजूदा कब्जेदार के हित को देखते हुए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषे0 एवं जारी अंतरिम अस्थायी निषे0 दिनांक 29.07.2025 खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा